मूलवाद संख्या 2024/072

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

साहिल बनाम करणी सिंह व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2024/056

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
21.11.24	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहल द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थीगण के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी चक सरकज नहर ओड़की, पटवार हल्का ओड़की, भू. अ.नि. क्षेत्र हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सख्या 43/34 के मुरब्बा नं. 14, 23, 24, की कुल 3.7190 हैक्टे0 नहरी मय गै0मु0रास्ता कृषि भूमि में से प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता के नाम से दर्ज हिस्सा 528/3719 यानि 0.528 हैक्टे0 एवं प्राथी संख्या 03 के नाम से दर्ज हिस्सा 527/3719 यानि 0.527 हैक्टे0 कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेद रहे एवं मौका, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 23.12.2024 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को पेश हो। स्वाति गुप्ता R.A.S सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	
23.12.24	[illegible] आज पीठासीन अधिकारी ... [illegible] अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/01/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested

30/01/25 आज पीठासीन अधिकारी... प्रशिक्षण कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/2/25 को पेश हो।

13/02/25 प्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है अतः प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को मौजूदा सूरत में दाखिल दफ्तर करवाना चाहते है पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली तलबी हेतु विचाराधीन चल रही थी चूंकि प्रार्थीगण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः वि.क्र. पत्र 212 RTA संख्या 60/2024 अमानत साहिल बनाम लक्ष्मीसिंह व अन्य वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली नस्तीबद्ध हो पत्रावली दायरा पंजिका [illegible] दर्ज कर बाद जाकर रिकॉर्ड [illegible] में शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested